

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड पटेलनगर, देहरादून।

दूरभाष नं.- 0135-2728272 फ़ैक्स- 2728226

Website: www.doiuk.org, Email: mpr@doiuk.org,

“उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार- 2018 ”

प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, सर्वद्वन एवं प्रोत्साहन हेतु शिल्पियों की कल्याणशीलता, योग्यता तथा कारीगरों को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा “उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना” प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिल्पी जो राज्य के निवासी हों तथा शिल्प क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो के आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों एवं विभागीय वेबसाईट: www.doiuk.org, से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में दिनांक: 10.02.2019 की सायं 05 बजे तक जमा किये जायेंगे।

निदेशक उद्योग
उत्तराखण्ड।

पत्रक
जूनियोर एग्रेस
संख्या 1011
जूनियोर एग्रेस (आरक्षण)

- सिवा में
1. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, देहरादून।
 2. सहायक जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 3. सहायक महाप्रबंधक / प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उत्तराखण्ड।

सूचना: लघु एवं माध्यम उद्यम अधिनियम, देहरादून, दिनांक 21 जुलाई 2015

विषय: उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना की समीक्षा की संख्या में।
महोदय

उपरोक्त विषयक में मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा अर्थशास्त्री के पासपोर्टगत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्कृति की परंपरा को संवर्धन, संरक्षण करने एवं शिल्पियों की कल्याणशीलता, आय, श्रमिकों को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिल्पियों को समीक्षा समिति द्वारा जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुरस्कार योजना प्रारंभ किये जाने की ओर राज्यपाल महोदय सहित संबंधित प्रदान करते हैं।

पुनः
पत्रिका (4)

2. उत्तराखण्ड पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में शिल्पियों के चयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निम्न किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहित संबंधित प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड
27/7/15

1. चयन हेतु मानका :-

1. राज्य का कोई भी शिल्पहस्तशिल्पी जो असाधारण उत्तर या विशेष शिल्प कला में परभाव है और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में योग्यता प्राप्त किया हो।
2. आदर्श उत्तराखण्ड राज्य को निर्यात हेतु योग्यता (आय) के साथ उत्तराखण्ड विकास प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए।
3. आयु की आयु 45 वर्ष से कम न हो।
4. शिल्प क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष की कार्य किया हो।
5. कोई भी सांसदीय / असाधारण / साधारण सभा / राज्य के कर्मचारी द्वारा पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकते।

2. संख्या :- योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 शिल्पियों को पुरस्कार किया जाएगा।

3. पुरस्कार का स्वीकार - पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रुपये धनराशि प्रतीक चिह्न आवेदन पूर्व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

4. प्रशस्ति आमंत्रण -

- (1) एमएसएमडी विभाग द्वारा योजना की जानकारी एवं प्रशिक्षण आमंत्रित करने हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों जिनमें से एक समाचार पत्र हिन्दी संस्करण राष्ट्रीय स्तर का होगा, को मासिक से दिवापत्र प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) आवेदन पत्रों, पत्रों, पत्रों, आवेदन पत्रों, निवेशित प्रारूप पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र में प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) आवेदन का वर्ष कैलेंडर वर्ष होगा।

5. चयन हेतु मानक -

- (1) पारम्परिक शिल्पों के क्षेत्र में योगदान।
- (2) राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों की प्राथमिकता दी जायेगी।
- (3) प्रमुखता शिल्प के विकास, तकनीकी सुधार एवं अभिनव उत्पादों के विकास में योगदान।
- (4) शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान।
- (5) पारम्परिक शिल्पों जो चूप हो रहे हैं, को संरक्षण एवं संवर्द्धन में योगदान।
- (6) शिल्पी द्वारा बौद्धिक संपत्तियों की गुणवत्ता/संरक्षण।
- (7) शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को विज्ञान संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया है (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किये जायें)।

नामांकन

ऐसे उत्कृष्ट शिल्पी, जिन्होंने स्वयं उच्च पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है, परन्तु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड शिल्प रत्न पुरस्कार के लिए संबंधित शिल्पियों को नामांकन के लिए उपयुक्त समझती है, ही उपरोक्त नामांकन कर, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति के विचार हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

उपरोक्त मानकों के आधार पर जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण/निरीक्षण कर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अपनी दिवसीय/संस्तुति सहित उद्योग निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।

6. संघटन की प्रक्रिया

जबकि संसदीय समिति पर सचिवों की अध्यक्षता में गठित समिति (Secretariat Committee) द्वारा प्रस्तावित संघटन की संघटन योजना के अंतर्गत नियोजन/परीक्षण कर, सुयोग्य कर्मियों के आगमन एवं नियुक्ति करेगी।

(1) जिला स्तरीय स्वीयता समिति का संरचना-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | जिलाधिकारी | -- अध्यक्ष |
| 2. | सहायक जिलाधिकारी (आयोजना) | -- सचिव |
| 3. | सहायक जिलाधिकारी (आयोजना) अधीकारी | -- सदस्य |
| 4. | सहायक जिलाधिकारी (आयोजना) / प्रमुख सहायक जिलाधिकारी | -- सदस्य |
| | कृषि सहायक केंद्र | सचिव |

(2) राज्य स्तरीय समिति का संरचना-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उद्योग/उद्यम संचालन | -- अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक उद्योग, उद्योग/उद्यम | -- सदस्य |
| | | सचिव |
| 3. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग/उद्यम हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद | -- सदस्य |
| 4. | विवेक अयुक्ता (हस्तशिल्प/हथकरघा), भारत सरकार के प्रतिनिधि | -- सदस्य |
| 5. | हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र के विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिनिधि/विशेषज्ञ | -- सदस्य |

7. पुरस्कार वितरण समारोह

पुरस्कार शिखियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा अथवा किसी प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय समारोह के अंतर्गत प्र पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। राज्य/राज्य स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा, ताकि पुरस्कार शिखियों को प्रसन्न करने की पूर्ण सहायता प्राप्त हो सके। प्रारम्भ में खसत पुरस्कार योजना चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 से अगस्त 08 वर्षों तक अतिरिक्त वितरित किया जाएगा।

यह आवेदन वित्त विभाग की आवासकीय संख्या- 344 दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त सहित से निर्गत किया जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जाती सुनिश्चित की जाए।

सहायक सचिव-आयोजना-सूक्ष्म का आदेश।

भवदीय

 (अनुराग चंद्रा)
 सहायक सचिव

पुष्पांकन संख्या: (1)/VII-2/15-78एम.एच.एम.ई./2015 तद्विनांकित

प्रतिलिपि: 1. प्रमुख सचिव-मा0. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. सामान्य अपर-मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. सामान्य सचिव राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति।

5. निजी सचिव-मा0. मंत्री एम.एस.एम.ई. मा0. मंत्री जी के अचल कार्यालय।

6. महासचिव, उत्तराखण्ड।

7. फाईल।

आज्ञा से

(डा. आर.राजेश कुमार)

अपर सचिव

‘उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र’

स्वप्रमाणित
फोटो

| | | |
|----|--|--|
| 01 | शिल्पी का नाम | |
| 02 | शिल्पी का पता | |
| 03 | मो/टेलीफोन/फैक्स/ईमेल | |
| 04 | पिता/पति का नाम | |
| 05 | जन्म स्थान | |
| 06 | जन्म तिथि (कृपया जन्म तिथि सम्बन्धी दस्तावेज की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें) | |
| 07 | जिस शिल्प पर कार्य रहे है उसका नाम | |
| 08 | कार्य कर रहे शिल्प का संक्षिप्त इतिहास, यदि आवश्यक हो तो अलग से विवरण प्रस्तुत करें | |
| 09 | यू.अथवा शिल्पक का संक्षिप्त ब्यौरा जिनसे इस सम्बन्ध में प्रेरणा/प्रशिक्षण प्राप्त किया | |
| 10 | शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता, यदि कोई हो शिल्प में कौशल सम्बन्धी डिग्री यदि कोई हो | |
| 11 | सिद्धहस्तशिल्पी द्वारा शिल्प के विकास, सुधार और उसकी तकनीकों को और योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा | |
| 12 | शिल्पी द्वारा निर्मित बहिर्विशिष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा खरीदा गया है, क्या दावे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज है | |
| 13 | सिद्धहस्तशिल्पी ने परम्परा को आगे बढ़ाने के लिये किसी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया है। कितने युवा पीढ़ी के शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है | |
| 14 | आवेदक सिद्धहस्तशिल्पी को पुरस्कृत पुरस्कारों अर्थात् राष्ट्रीय/राज्य/जनपदीय पुरस्कार प्रमाण-पत्र का विवरण | |
| 15 | मुख्य प्रदर्शियों का विवरण, जिसमें सिद्धहस्तशिल्पी ने अपना कौशल दर्शाने के लिये अथवा अपनी कृतियां प्रदर्शित करने के लिये भाग लिया हो | |
| 16 | सिद्धहस्तशिल्पी की औसतन प्रतिमाह आय | |

हस्ताक्षर

सिद्धहस्तशिल्पी का नाम :

.....